झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 27/2023

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 826 दिनांक 14.03.2019 तथा 340 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु **मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना** प्रख्यापित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा-09 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवत्ति के लिए छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को अधिकृत किया गया है।

एतद् द्वारा राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा- 07 उत्तीर्ण/कक्षा-08 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) परीक्षा का आयोजन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं की अनिवार्य अर्हता, स्वरुप एवं योजना निम्नवत् है :-

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना

- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुल 5000 छात्र/छात्राओं हेतु सीट निर्धारित है।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र/छात्राओं का ही चयन किया जाएगा।
- चयनित सभी छात्र/छात्राओं को कक्षा- 09 से 12 तक 12,000/- रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- कक्षा-09 से 11 तक आयोजित होनेवाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा (कक्षा 09, 10 एवं 11) में संबंधित छात्र/छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जायेंगे। किसी भी कक्षा 09, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र/छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- चयनित छात्र/छात्रा राज्य अन्तर्गत किसी भी विद्यालय (CBSE/ICSE या अन्य विद्यालय में) नामांकन ले सकते हैं।
- ऐसे छात्र-छात्रा, जो गैर आवासीय व्यवस्था/राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्णरुपेण देय होगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हों, तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।
- आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र/छात्राओं की अर्हता

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ परीक्षा के लिए योग्य होंगे।
- कक्षा-07 में न्यूनतम 55% अंकों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को 5% की छूट होगी) के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ परीक्षा के आवेदन हेतु योग्य माने जायेंगे।
- अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी।
- 30 प्रतिशत सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी।

परीक्षा का स्वरूप

- परीक्षा दो खण्डों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खण्ड 90 मिनटों का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकृति के होंगे।
- खण्ड-1:- बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)- इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें - Reasoning, English Profiency तथा Hindi Profiency से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक/तार्किक क्षमता को परखने हेतु Reasoning अन्तर्गत Analogy, Classification, Numerical series, Pattern perception, Hidden figures आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा।
- खण्ड-2:- शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test)- इसके अन्तर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न (प्रति विषय 30 प्रश्न) समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। सभी प्रश्न वर्ग 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।
- छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र/छात्रा को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा प्रत्येक खण्डों में 40 प्रतिशत (SC/ST छात्र/छात्रा के लिए 35 प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश एवं कार्यक्रम

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के छात्र/छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- संबंधित छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अपने जिला, विद्यालय एवं अन्य यथा वांछित जानकारी वेबसाइट पर संधारित करेंगे।
- परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20.05.2023 से 09.06.2023 तक परिषद् के वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।
- भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 21.05.2023 से 10.06.2023 तक ऑनलाइन परिषद् को अग्रसारित किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद् से कक्षा 08 के लिए निर्गत किए गए ID एवं Password का उपयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन अग्रसारण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों के अनुसार ही परिषद् द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन अग्रसारित किए गए आवेदन प्रपत्रों की सूची (प्रतिहस्ताक्षरित कर) परिषद् के वेबसाइट से डाउनलोड कर परिषद् को समर्पित करेंगे।
- **प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि- 19.06.2023.**
- **परीक्षा की तिथि- 24.06.2023.**

सभी शिक्षा पदाधिकारियों, कक्षा 08 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय प्रधानों एवं अन्य सभी संबंधितों से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) परीक्षा को सफल बनाने हेतु अधिक-से-अधिक छात्र/छात्राओं को सम्मिलित कराने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की सार्थकता पूर्ण हो सके एवं राज्य सरकार की योजना का लाभ अधिक-से-अधिक छात्र/छात्राओं को मिल सके।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक: JAC/Sch/CMMSS/089/23/Secy/438/23,
दिनांक: 18.05.2023, D.O.P :19.05.2023

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

340
21/02/2022

-: संकल्प :-

विषय :- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध में।

विभागीय संकल्प सं.-826 दिनांक-14.03.2019 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गई है। यह छात्रवृत्ति वर्ग-9 से वर्ग-12 तक के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। उक्त छात्रवृत्ति परीक्षा में वर्ग-7 में यथानिर्धारित प्राप्तांक (55% अंक) सहित उत्तीर्ण तथा वर्ग-8 में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

2. यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना, पढ़ाई के प्रति रूझान तथा Competency Level बढ़ाया जाय ताकि राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं यथा NTSE (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा) अथवा NMMSS (राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना) की परीक्षा में सफलता हेतु सक्षम बनाया जा सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना हेतु परीक्षा में भाग लेने की पात्रता एवं स्वरूप में निम्नवत् संशोधन का निर्णय लिया गया।

3. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या-826 दिनांक-14.03.2019 की कंडिका-8 (III) की उपकंडिका-i में परीक्षा के प्रारूप के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :-

i. छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा किया जायेगा, जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न विषयवार यथाः गणित-50, विज्ञान-50 तथा अंग्रेजी-50 प्रश्नों की होगी। इसके लिए 120 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न वर्ग-7 एवं वर्ग-8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा। उपरोक्त सभी विषयों में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उक्त उप कंडिका- i के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है -

i. छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा का आयोजन JAC रांची द्वारा किया जायेगा। प्रश्नपत्र दो खण्डों में होगा -

उप सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, राँची।

खण्ड–1 – बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) – इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें Reasoning, English Profiency तथा Hindi Profiency से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक/तार्किक क्षमता को परखने हेतु Reasoning अन्तर्गत Analogy, Classification, Numerical Series, Pattern Perception, Hidden Figures आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। जिसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित होगा। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा।

खण्ड–2 – शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test) – इसके अनतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न (प्रति विषय 30 प्रश्न) समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या –90 होगी तथा इसके लिये 90 मिनट समय निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न वर्ग–7 एवं वर्ग–8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

प्रत्येक खण्ड (खण्ड–1 एवं खण्ड–2) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में भाग लेने हेतु विद्यार्थी को कक्षा–7 में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट होगी) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छात्र–छात्राओं के चयन (मेधा सूची) हेतु राज्य स्तर पर देय आरक्षण अनुमान्य होगा। विकलांग छात्र–छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अधिक समय दिया जायेगा।

4. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या–826 दिनांक–14.03.2019 की कंडिका–8 (III) की उपकंडिका–ii में चयन हेतु Cut off के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :–

ii. उक्त चयन परीक्षा में राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति चयन हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर भी क्रमशः न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। यह अंक कुल पूर्णांक के आधार पर 7 (III) (i) के शर्त्त के साथ प्रभावी होगा।

उक्त उपकंडिका– ii के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है –

ii. उक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। चयन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा सभी खण्डों में 40 प्रतिशत (SC/ST विद्यार्थियों के लिये 35 प्रतिशत अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर

विचार नहीं किया जायेगा। यह अंक कुल पूर्णांक के आधार पर 8 (III) (i) के शर्त्त के साथ प्रभावी होगा।

5. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या–826 दिनांक–14.03.2019 की कंडिका–9 में छात्रवृत्ति योजना के तहत् निम्न तीन स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने तथा छात्रवृत्ति की राशि/अहर्त्ता के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :–

क्र.	स्तर	राशि (वार्षिक)	अहर्त्ता
1.	राज्य स्तर	12,000/–	• कक्षा–8 पास/शामिल • अभिभावक की वार्षिक आय बाध्यता नहीं होगी • 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित • झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा सभी खण्ड 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2.	जिला स्तर	6,000/–	• कक्षा–8 पास/शामिल • 50% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित • अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख या उससे कम • झारखण्ड अधिविद्या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक तथा सभी खण्ड में 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3.	प्रखण्ड स्तर	3,000/–	• कक्षा–8 पास/शामिल • 50% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित • अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख या उससे कम • झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक तथा सभी खण्ड में 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

340
21/07/2022

उक्त कंडिका–9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :–

9. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत् निम्नवत् छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी

क्र.सं.	स्तर	राशि (वार्षिक)	अहर्त्ता
1.	राज्य स्तर	12,000/–	• कक्षा–8 पास/शामिल • अभिभावक की वार्षिक आय बाध्यता नहीं होगी • 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित • झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा सभी खण्ड 40% (SC/ST विद्यार्थियों के लिये 35%) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. वर्तमान प्रभावी विभागीय संकल्प संख्या–826 दिनांक–14.03.2019 की कंडिका–10 मे जिला स्तर पर छात्रवृत्ति की संख्या के निर्धारण के संदर्भ में निम्न प्रावधान है :–

(क) जिला स्तर पर जिला में प्रखण्ड संख्या तथा आबादी के आधार पर छात्रवृत्ति की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :–

क्र.	जिला की संख्या	प्रखण्ड की संख्या	जनसंख्या	छात्रवृति की संख्या
1.	06	1–7	12 लाख से कम	100
2.	12	8–12	12 से 15 लाख के बीच	150
3.	06	>13	15 लाख से अधिक	200

(ख) अत्यन्त पिछड़े जिले यथाः सिमडेगा (10), खूँटी (6), लोहरदगा (7), पाकुड़ (6), साहेबगंज (9) एवं चाईबासा (18) जिला में उपरोक्त अंकित छात्र संख्या के दुगुने छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त पिछड़ा जिला के रूप में चिन्हित कर विशेष आवंटन रुपया 50.00 करोड़ का उपलब्ध कराया जा रहा है। कंडिका 10 (क) में अंकित सं0 का double देय होगा।

उक्त कंडिका–10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :–

10. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत् सभी जिलों के लिये प्रत्येक वर्ष समेकित रूप से छात्रवृत्ति की संख्या 5000 होगी, जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा संचालित परीक्षा में निर्धारित Cut off के आधार पर सफल विद्यार्थियों को दिया जायेगा।

7. संकल्प संख्या–826 दिनांक 14.03.2019 की कंडिका–13 को विलोपित किया जाता है।

8. इस योजना के तहत् वर्ग 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक वर्ष 5000 नये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जायेगा अतः अधिकतम 20000 छात्रों का दायित्व राज्य सरकार पर किसी वर्ष में होगा। एक जिले से चयनित किये जाने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या 400 तक सीमित रखी जायेगी।

इस प्रकार योजना के प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अधिकतम रूपये 60000000/– (छः करोड़ रूपये) मात्र, द्वितीय वर्ष अधिकतम रूपये 120000000/– (बारह करोड़ रूपये) मात्र, तृतीय वर्ष अधिकतम रूपये

180000000/– (अठारह करोड़ रूपये) मात्र एवं चतर्थ तथा अन्य वर्षों में अधिकतम रूपये 240000000/– (चौबीस करोड़ रूपये) मात्र का व्ययभार राज्य सरकार पर पड़ेगा।

9. उक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

10. इस हेतु विभागीय संलेख ज्ञापांक–48 दिनांक–06.01.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–10.02.2022 की बैठक में मद संख्या–37 के रुप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/2/22

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12/छा06–01/2021 340 राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड ई–गजट के रुप में आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 200 प्रतियाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

18/02/22

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12/छा06–01/2021 340 राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपिः– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी कोषागार/उप कोषगार पदाधिकारी/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/22

सरकार के सचिव।

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक–12 / छा06–01 / 2021 346 राँची, दिनांक 21/02/2022

प्रतिलिपि :– श्री असीम किस्पोट्टा, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट –सह–ऑनलाईन सर्विसेस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसे State Portal एवं विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

18/02/22

सरकार के सचिव।

6

1) राज्य सरकार द्वारा कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना** प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक चयनित छात्र–छात्राओं को प्रत्येक वर्ष 12000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस वर्ष कुल 3889 छात्र–छात्राओं का प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया है।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 43/2022

एतद् द्वारा विज्ञप्ति सं. 13/2022, 23/2022, 24/2022, 31/2022 एवं 34/2022 के क्रम में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त-निदेशकों/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों/मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए अभ्यावेदन जमा करने वाले सभी छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा (CMMSS) निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा:-

परीक्षा कार्यक्रम

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि:- 06.07.2022
परीक्षा की तिथि:- 13.07.2022 (बुधवार)
परीक्षा की अवधि:- पूर्वाह्न 9.45 से अपराह्न 1.00 बजे तक।
दिव्यांग छात्रों को 30 मिनट अतिरिक्त समय देय होगा।

प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाईट **www.jac.jharkhand.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिन छात्र/छात्राओं का डाटा अनुमोदित किया गया है, उन्हीं छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र परिषद् द्वारा निर्गत किया जाएगा।

विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SCH/77-II/21-Secy/475/22
Dt. 16.06.2022
D.O.P : 17.06.2022

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गयी है. विद्यार्थी अब 21 मई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं. 28 मई तक डीइओ से फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने की तिथि पहले 30 अप्रैल तक निर्धारित की गयी थी. परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा सातवीं में अंक की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. कक्षा सातवीं पास विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा ली जायेगी. पांच हजार विद्यार्थी का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जायेगा. चयनित विद्यार्थी को कक्षा नौ से 12वीं तक के लिए प्रत्येक वर्ष 12 हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी.

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, 2022 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 24/2022

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23
कक्षा VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए

एतद् द्वारा विज्ञप्ति सं. 13/2022 एवं 23/2022 के क्रम में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त-निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा VIII में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा (CMMSS) हेतु आवेदन करने की तिथि का विस्तार, दिनांक 21.06.2022 तक किया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भरे हुए आवेदनो का अनुमोदन दिनांक 28.05.2022 तक किया जायेगा।

इस परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने तथा परीक्षा के तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी।

विज्ञप्ति संख्या- 13/2022 एवं 23/2022 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SCH/77-II/21-Secy/330/22
Dt. 30.04.22
D.O.P : 01.05.22

प्रभात खबर
Sun, 01 May 2022
https://epaper.prabhatkhabar.com